बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ
गढ़पर, (नालन्दा एक्स–रे कैम्पस), बिहारशरीफ – 803101
Email : dfonalandafdivision@gmail.com, Mob: 8986153336, Tel : 06112-235250

पत्रांक ......2429...... अ०प्र०लि० दिनांक ......9....../......9....../2017

प्रेषक,

डॉ० नेसामणि के०, भा०व०से०
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना।

विषय : रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा विभिन्न पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 51.43 कि०मी० (0.4217 हे०) वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) के पत्रांक रा०क्र० पत्रांक 31/17 (व०सं०) कैम्पा/320 दिनांक 15.05.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेंसी (रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड) द्वारा विभिन्न पथों के किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत कुल 65 किलोमीटर में 0.5343 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया था। तदआलोक में स्थलीय जाँच के उपरांत अपयोजित होने वाले वनभूमि मात्र 0.4217 हे० (51.43 कि०मी०) प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी निम्नलिखित है :

क्र०	पथ का नाम	Starting Point	End Point	दूरी (कि०मी० में)	रकबा (हे०में)
1.	जहानाबाद–घोषी–इस्लामपुर–राजगीर पार्वतीपुर पथ SH-71	राजगीर बस स्टैंड (चौक)	रोगिन पर तौला	43.2	0.3551
2.	इस्लामपुर–हुलासगंज–खिजरसराय–गया पथ SH-04	इस्लामपुर थाना	मोहद्दीनगर–जनकपुर	07	0.0575
3.	गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ–मोकामा NH-82	राजगीर SDO Office	राजगीर बस स्टैंड (चौक)	1.23	0.0091
			कुल	**51.43**	**0.4217**

समर्पित प्रस्ताव में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय जाँचोपरान्त **0.4217 हे० वनभूमि अपयोजन** संबंधित आवश्यक प्रविष्टि भाग–II में अंकित कर अनुशंसा सहित प्रस्ताव भवदीय को समर्पित की जा रही है। जाँच में निम्नलिखित शर्त्तों की अनुपालन की गयी है।

I. परियोजना स्थल जहानाबाद – घोषी – इस्लामपुर– राजगीर पार्वतीपुर पथ (SH-71), इस्लामपुर – हुलासगंज – खिजरसराय–गया पथ (SH-04) एवं गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ–मोकामा (NH-82) अधिसूचित वनभूमि है, इसकी अधिसूचना की प्रति अनु०–1 में संलग्न की गयी है।

II. परियोजना क्षेत्र में पड़ने वाले तथा पातित होने वाले वृक्षों की गणना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वृक्षोपातन हेतु प्रस्ताव में उल्लेखित नहीं की गयी है। स्थलीय सत्यापन में पाया गया है कि वृक्षों के पातन या चटाई की आवश्यकता नहीं है।

III. संलग्न नक्सा एवं मानचित्र का भौतिक सत्यापन किया गया है तथा हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित की गयी है। प्रस्ताव के अंत में अनु०–9 एवं 10 के रूप में संलग्न है, जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नक्सा को अभिप्रमाणित की गयी है।

IV. परियोजना निर्माण के लिए अपयोजन होने वाले वनभूमि के क्षेत्रफल की गणना कर भाग–II में अंकित की गयी है। विस्तृत विवरणी अनु०–8 में संलग्न है। कुल अपयोजन होने वाले वनभूमि की क्षेत्रफल 0.4217 हे० मात्र हैं।

V. स्थल निरीक्षण की टिप्पणी अलग से अनु०–7 संलग्न की गयी है।

VI. अपयोजन होने वाले वनभूमि का रकवा 1 हे० से कम होने के कारण 400 लॉह गैबियन के क्षतिपूरक वनरोपण का प्राक्कलन स्वीकृति के साथ अनु०–2 में संलग्न की गयी है। GPS Reading एवं नक्सा भाग–II के अनु०–3 एवं प्राक्कलन में अंकित है। प्रयोक्ता एजेंसी बिना स्वीकृति प्राप्त किये बगैर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ करने के कारण दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्राक्कलन तैयार कर तकनिकी स्वीकृति के साथ अनु०–4 में संलग्न की गयी है। GPS Reading एवं नक्सा भाग–II के अनु०–5 एवं प्राक्कलन में अंकित है।

VII. परियोजना क्षेत्र में वन्यप्राणी से संबंधित विवरणी अंकित की गयी है।

VIII. परियोजना क्षेत्र के निर्माण स्थल से राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है।

IX. अपयोजित होने वाले वनभूमि का F.R.A.2006 का प्रमाण–पत्र समाहर्त्ता, नालन्दा से प्राप्त कर इस कार्यालय का पत्रांक 1861 दिनांक 19.08.2017 को मूल रूप में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), बिहार, पटना को समर्पित कर दी गयी है तथा इसकी छायाप्रति पार्ट–2 के अनुलग्नक–11 में संलग्न की गयी है।

X. परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि का GPS Reading अनु०–12 में संलग्न है।

XI. नोडल पदाधिकारी का पत्रांक FC-266 दिनांक 26.04.2017 का अनुपालन में अप्राप्त मूल अभिलेख के स्थान पर उसकी फोटो कॉपी को अभिप्रमाणित कर प्रस्ताव में संलग्न की गयी है।

XII. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल वृक्षारोपण युक्त होने का प्रमाण–पत्र अनु०–6 से संलग्न है।

XIII. इस कार्यालय का पत्रांक 1137 दिनांक 24.06.2017 के माध्यम से प्रयोक्ता एजेंसी से नौ बिन्दुओं का अनुपालन की माँग की गयी थी। परन्तु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित करने में रूची नहीं लिया गया है, जिसके कारण प्रस्ताव समर्पित करने में बिलम्ब हुई है।

अतः नोडल पदाधिकारी से दिनांक 04.09.2017 को प्राप्त निदेश का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टि कर प्रस्ताव 6 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ० नेसामणि के०)
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

D:\D.F.O\Letter\Amin Section\Sep_2017